

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :-12/नि0आ0-101/2024 (खंड-1) 444(MTG) /पटना, दिनांक :-18/8/2026

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग संख्या-36 के मुख्य शीर्ष- 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जलापूर्ति, उपशीर्ष-0103-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा) विपत्र कोड-36-4215011020103 विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य में ₹13.33 लाख तथा मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-जलापूर्ति, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0111-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा) विपत्र कोड-36-4215017890111 विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य में ₹2.54 लाख रुपये अर्थात् कुल ₹15.87 लाख रुपये मात्र का आवंटन।

आदेश- आवंटन विवरणी (संलग्न) के स्तंभ-10 में अंकित अधियाचना पत्र के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित प्रमंडलों को विपत्र कोड-36-4215011020103 अंतर्गत स्तंभ-06 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹13.33 लाख (रुपये तेरह लाख तैतीस हजार) मात्र, विपत्र कोड-36-4215017890111 अंतर्गत स्तंभ-07 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹2.54 लाख (रुपये दो लाख चौवन हजार) मात्र अर्थात् कुल ₹15.87 (रुपये पन्द्रह लाख सतासी हजार) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है।

2. यह व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जाएगा।
3. यह व्यय माँग संख्या-36 के मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-जलापूर्ति, लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जलापूर्ति, उपशीर्ष-0103-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा) विपत्र कोड-36-4215011020103 विषय शीर्ष-53-01-मुख्य निर्माण कार्य तथा मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-जलापूर्ति, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0111-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा) विपत्र कोड-36-4215017890111 विषय शीर्ष-53-01 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-96/वि0 (2), दिनांक-03.01.2008 एवं संकल्प सं0-एम-04-53/2007-3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-235/वि0, दिनांक-01.04.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. विभाग द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग पत्रांक-एम0-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.2018 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाए।
7. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जाएगा।
8. आवंटन का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं है। भली-भांति जांच कर वित्तीय नियमों के अनुरूप निकासी एवं व्यय सुनिश्चित की जाय।
9. यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से आवश्यक समाविष्ट होनी चाहिए।
10. स्वीकृत्यादेशवार आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। स्वीकृत्यादेशवार आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी स्वीकृत्यादेशवार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाए।
11. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि में से होने वाली संभावित बचत राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-25.03.2026 तक निश्चित रूप से कर दिया जाए।
12. प्रस्ताव पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

Jaw
18/3/26

(दया शंकर प्रसाद)

मुख्य अभियंता (दक्षिणी बिहार)

अभय
18/03/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक :- 12/नि0आ0-101/2024 (खंड-1) 444(म0) /पटना, दिनांक :- 18/3/26

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव कोषांग/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव कोषांग/मुख्य अभियंता (उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार)/बजट पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/मुख्य अभियंता (रूपांकण) के प्रावैधिक सचिव/कार्यपालक अभियंता (मो0-2)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आ0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04 एवं 12, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jaw
18/3/26

(दया शंकर प्रसाद)

मुख्य अभियंता (दक्षिणी बिहार)

अभय
18/03/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

राज्य योजना के तहत पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण चापाकलों के स्थान पर निर्मित नये चापाकल एवं चापाकलों के पास सोखा निर्माण हेतु

आवंटन विवरणी

(वित्तीय वर्ष- 2025-26)

क्र० सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	स्वीकृत राशि (लाख में)	पूर्व में कुल आवंटित राशि (लाख में)	वर्तमान आवंटित राशि (लाख में)			कुल अद्यतन आवंटन (लाख में) (Col. 5 + 8)	प्रमंडलीय अधिप्राप्तना का पत्रांक एवं दिनांक	अभ्युक्ति
					विपत्र कोड-36-4215011020103 (53-01) (सामान्य)	विपत्र कोड-36-4215017890111 (53-01) (अनु० जाति)	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	समस्तीपुर	865/07.09.2021	93.09	0.00	13.33	2.54	15.87	15.87	पत्रांक-6194 दि०-22.12.25	CWJC No.-6802/2025 नीरज कुमार बनाम बिहार सरकार से संबंधित

वर्तमान कुल आवंटन ₹ 15.87 लाख (रुपये पन्द्रह लाख सतासी हजार) मात्र।

18/3/26

(दया शंकर प्रसाद)

मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना

18/3/26

(अमय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना